

- N/1 -

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
VYAPAR BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI
(POLICY BRANCH)

Department of Trade and Taxes has received a Starred Question (Question No.40) (Raised by Sh. S.K. Bagga) from Delhi Vidhan Sabha to be replied on 30.07.2021.

After taking the information from OHAs, Anti Evasion-I, Anti Evasion-II & I.T. Branch of Trade and Taxes, a draft reply has been prepared and placed opposite on file for approval.

Submitted please.


31/07/2021
(Anjana Mahajan)
GSTO (Policy)

Assistant Commissioner (Policy)

Commissioner, State Tax may be
requested to sign the reply after the approval
of Hon'ble Finance Minister/ Dy. C.M. of
GNCTD,

635/p
27/7/21


27/7/21

Adoff. Comm (Policy)


27/7/21

Commissioner, State Tax

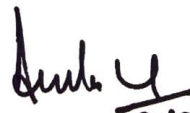

27/7/21

Secy (Finance)

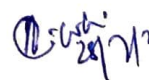

27/7

Hon'ble Dy. C.M. Finance Minister, GNCTD.

Sec. Fin.
com. (T&T)


28/7


27/7


27/7/21

File Dy. No. Dy. CM/ 5812
Dated 27/7/21

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(POLICY BRANCH)
VYAPAR BHAWAN: I.P. ESTATE: NEW DELHI-02

No. F5(39)/Policy/GST/(VS)2021/ 638-39

Dated: 29.07.2021

To

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Legislative Secretariat,
Old Secretariat,
Delhi-54.

Sub: Reply of Vidhan Sabha Starred Question No.40, raised by Hon'ble MLA Sh. S.K. Bagga due for reply on 30.07.2021.

Sir,

With reference to your e-mail dated 23.07.2021, kindly find enclosed 100 copies of the duly authenticated reply to the Starred Question No. 40, in Hindi, raised by Hon'ble MLA Sh. S.K. Bagga, due for reply in Vidhan Sabha on 30.07.2021.

The reply has been sent in email at questionbranchlas@gmail.com and the soft copy is also being submitted.

This issues with the prior approval of the Competent Authority (State Tax, GNCTD).

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

Encls. As above.

No. F5(39)/Policy/GST/(VS)2021/ 638-39

Copy to:

The Director, Dte. of Information & Publicity, GNCTD, Old Sectt, Block 9, Delhi-54 with 150 copies, as per directions contained in Dy. Secy. LAS e-mail dated 23.07.2021.

29/07/2021
(ANJANA MAHAJAN)
GSTO (POLICY)
Dated:

29/07/2021
(ANJANA MAHAJAN)
GSTO (POLICY)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
व्यापार भवन, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली-110 002.

तरांकित प्रश्न संख्या : 40
दिनांक : 30.07.2021
प्रश्नकर्ता : श्री एस.के. बग्गा

क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क.		प्रश्न	उत्तर		
क)		वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (प्रथम तिमाही) की अवधि के लिए वैट की लंबित अपीलों का विवरण दें;	वर्ष	लंबित अपीलों की संख्या (असेसमेंट कर अवधि के चार साल बाद तक किया जा सकता है। व्यक्ति की ओर से पूरी तरह से भौतिक विवरणों को छिपाने, चूकने या प्रकट करने में विफलता के मामले में, इस अवधि को छः साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह जानकारी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (पहली तिमाही) की डीवैट अवधि से संबंधित है, जिसके लिए ओएचए से बहुत बाद की तारीख में अपील दायर की गई हो सकती है। असेसमेंट के बाद डीलरों को ऑब्जेक्शन हियरिंग अथोरिटी के सामने अपील फाईल करने का अधिकार है।)	
			2015-16	762	
			2016-2017	530	
			2017-18 (प्रथम तिमाही)	216	
ख)		स्पेशल ऑब्जेक्शन हियरिंग अथोरिटी (एसओएचए) के अलावा इनमें कर, ब्याज अथवा अर्थदंड के रूप में निहित धनराशि का ब्यौरा;	ऑब्जेक्शन हियरिंग अथोरिटी के समक्ष उपरोक्त अपीलों के संबंध में विवादित राशि निम्नानुसार है। वास्तविक वसूली योग्य राशि अपील के परिणाम पर निर्भर करती है।		
			वर्ष	कर + ब्याज (करोड़ में)	पैनल्टी (करोड़ में)
			2015-16	387.54	290.74
			2016-2017	198.80	44.87
			2017-18 (प्रथम तिमाही)	27.24	4.43
ग)		वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अनुपालन शाखा 1 तथा 2 के द्वारा एकत्रित किया गया	कर और पैनल्टी (करोड़ में)		
			वर्ष	अनुपालन शाखा 1	अनुपालन शाखा 2
			2017-18	3.48	0.72
			2018-19	3.12	0.70

	कर तथा अर्थदंड;	2019-20	2.36	10.47
		2020-21	20.67	16.38
		कुल	29.63	28.27
घ)	ऐसे व्यापारियों की संख्या जिनका कर-निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में डीवीएटी 51, नियमित कर निर्धारण और एक पक्षीय कर निर्धारण के तहत तीन तीन बार किया गया तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण;	डीवीएटी 51 नोटिफिकेशन संख्या F.3(27)/Fin.(Rev.-I)/2013-14/DS-VI/291 दिनांक 05.03.2014 द्वारा हटा दिया गया था ।		
ड)	वैट व्यवस्था के दौरान दाखिल किए गए डीवीएटी 41 का विवरण;	04		
च)	उन मामलों का विवरण जो कालबाधित हो गए, क्योंकि व्यापारियों द्वारा डीएवीटी 41 में दाखिल की गई आपत्तियों का निपटान 15 दिन में किया जाना था;	शून्य		
छ)	इन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण, और	उपरोक्त बिन्दू (च) के अनुसार		
ज)	जिन व्यापारियों ने जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण को रद्द किए जाने हेतु आवेदन किया है, उनका जोनवार विवरण दें तथा जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उनका विवरण ?	01.07.2017 से 30.06.2021 तक		
		जोन	पंजीकरण रद्द किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन	रद्द किये गये पंजीकरण
		1	17028	11538
		2	14945	11530
		3	29047	21107
		4	26336	19084
		5	36919	30206
		6	40438	30454
		7	48262	36534
		8	28741	21542
		9	23614	14705
		10	750	637
		11	1547	939
		12	2305	1999
		कुल	269932	200275

Signature

Additional Commissioner
Department of Trade & Taxes
GNCT of Delhi, Vyapar Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002